उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या- 1/2022/188/94-स्टा0नि0-2-2022-700(38)/2021
लखनऊ, दिनांक 08 मार्च, 2022

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर-1 के मेट्रो डिपो के निर्माण हेतु, आगरा स्थित चिन्हित 8.6818 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के पक्ष में निष्पादित हस्तान्तरण विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:- 1/2022/188/94-स्टा0नि0-2-2022-700(38)/2021 दिनांक: 08 मार्च, 2022

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक- 08 मार्च, 2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें |

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

संख्या:- 1/2022/188/94-स्टा0नि0-2-2022-700(38)/2021 दिनांक: 08 मार्च, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मण्डलायुक्त, आगरा।
5- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
6- जिलाधिकारी, आगरा।
7- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), आगरा पदेन जिला निबंधक।
8- उप महानिरीक्षक निबंधन, आगरा।
9- सहायक महानिरीक्षक निबंधन, आगरा।
10- विधायी अनुभाग-1
11- भाषा अनुभाग-5
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1/2022/188/94-SR-2-2022-700(38)/2021 dated, 08 March, 2022.

Notification
Order

No. 1/2022/188/94-SR-2-2022-700(38)/2021
Lucknow, Dated: 08 March, 2022.

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), as amended, in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), the Governor, from the date of publication of this notification in the Gazette, is pleased to remit the stamp duty payable on the conveyance deed executed by the Government of Uttar Pradesh in favour of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation relating to the marked 8.6818 hectare land located in Agra for the construction of Metro Depo of Corridor-1 of Agra Metro Rail Pariyojna.

By order,

Veena Kumari
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।